न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 36 / 2024	2024 / 108	17.10.2024	26.12.2024

—उनवान—

1. सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ0सं0), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ़, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. आसमोहमद पुत्र श्री मलखान जाति मेव निवासी झाडोली, ग्रा.पं. घाटला तह0 अलवर, जिला अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः—
01.श्री बृजेन्द्र कुमार गोयम, कृषि अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि

::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कुल 314 बैग जब्त उर्वरक को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 (A) प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 07.10.2024 को पुलिस थाना, विजय मंदिर, अलवर द्वारा दूरभाष पर श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद् अलवर को अवैध खाद विक्रय की सूचना दी गई कि श्री आसमोहमद पुत्र श्री मलखान जाति मेव निवासी झाडोली, ग्राम पंचायत घाटला तहसील अलवर, जिला अलवर के घर पर नकली DAP खाद की पैकिंग की जा रही है। सूचना मिलने के उपरांत श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अलवर द्वारा मुझे और श्री जितेन्द्र सिंह फौजदार, कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वि.), जिला परिषद् अलवर को दूरभाष पर उक्त प्रकरण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों कि पालना में, मैं और श्री जितेन्द्र सिंह फौजदार, कृषि अधिकारी (मिशन) अवैध उर्वरक के कारोबार की जाँच हेतु मौके पर श्री आसमोहमद पुत्र श्री मलखान जाति मेव निवासी झाडोली, ग्राम पंचायत घाटला तहसील अलवर, जिला अलवर के घर पर पहुंचे। मौके पर हमें पुलिस थाना, विजय मंदिर, अलवर के कार्मिक एवं श्री पंकज कुमार वर्मा, कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय शाहपुर मौजूद मिले तथा 84 बैग खड़ी हुई पिकअप वाहन नंबर RJ32GC4379 में पाए गए जिन पर DAP उर्वरक इफ्फको मार्का अंकित था, 230 बैग बिना मार्का के पाए गए (जिसमे 152 बैग मूल पैकिंग में तथा 78 बैग खुले हुए), इसके अतिरिक्त मौके पर बैग सिलाई की एक मशीन, सिलाई का धागा, 15 खाली इफ्को DAP उर्वरक मार्का के बैग, 60 बैग खाली बगैर मार्का के कटे हुए मिले जिनकी सामग्री इफ्फको DAP उर्वरक मार्का के बैगों में पैक कर दी गई थी। मौके पर थी आसमोहमद पुत्र श्री मलखान जाति मेव निवासी झाडोली, ग्राम पंचायत घाटला तहसील अलवर, जिला अलवर नहीं मिले क्योंकि हमारे पहुंचने से पूर्व ही पुलिस कार्मिक उन्हें पूछताछ हेतु विजय मंदिर थाने में लेकर जा चुके थे। मौका रिपोर्ट श्री जितेन्द्र सिंह फौजदार, कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वि.), जिला परिषद् अलवर, श्री पंकज कुमार वर्मा, कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय शाहपुर एवं श्री विजय सिंह, ASI, पुलिस थाना, विजय मंदिर, अलबर की मौजूदगी में तैयार की गई। उक्त की मौजूदगी में नकली डीएपी संदेह होने के कारण प्रपत्र P, मौका पर्चा व आवश्यक दस्तावेज तैयार कर नमूना संग्रहण कार्य किया गया। नमूना डीएपी उर्वरक के मापदंडानुसार लिया गया। उक्त की मौजूदगी में मौके पर नमूने को तैयार कर प्रपत्र P डालकर कपड़े की थैलियों व प्लास्टिक डिब्बो में रखकर, पीतल की

अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

सील की सहायता से चपडी से सील किया गया। नमूना संग्रहण कार्य कर मौके पर उपस्थित सभी के समक्ष जब्ती की कार्यवाही की गई व आवश्यक दस्तावेज तैयार किए गए। जब्त अवैध उर्वरक कुल 314 बैग को ट्रेक्टर में भरवाकर जीएसएस शाहपुर व्यवस्थापक श्री खुशवंत सिंह को सुपुर्द किया गया। व्यवस्थापक से सुपुर्दगी प्रपत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त किए एवं पिकअप वाहन नंबर RJ32GC4379, बैग सिलाई की एक मशीन, सिलाई का धागा, 15 खाली इफ्फको DAP उर्वरक मार्का के बैग को पुलिस थाना विजय मंदिर को सुपुर्द कर सुपुर्दगी हस्ताक्षर प्राप्त किए। इसके उपरांत पुलिस थाना विजय मंदिर, अलवर में श्री आसमोहमद पुत्र श्री मलखान जाति मेव निवासी झाडोली, ग्राम पंचायत घाटला तहसील अलवर, जिला अलवर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत मुकदमा संख्या 0183 दिनांक 07.10.2024 दर्ज करवाया गया। इस कार्यालय के पत्रांक 7522–24 दिनांक 08.10.2024 द्वारा उक्त प्रकरण की सूचना श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (गु. नि.) कृषि आयुक्तालय जयपुर, श्रीमान अतिरिक्त निदेशक कृषि (ति.), भरतपुर खण्ड, भरतपुर व श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, अलवर को भिजवाई गई। इस कार्यालय के पत्रांक 7525 दिनांक 08.10.2024 द्वारा ऑफ लाइन आहरित उर्वरक नमूने की जाँच की अनुमति श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.) कृषि आयुक्तालय जयपुर से चाही गई। दिनांक 07.10.2024 को जब्त उर्वरक का नमूना जांच हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 7526 दिनांक 08. 10.2024 द्वारा श्रीमान उपनिदेशक कृषि (गु.नि.), राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला को भिजवाया गया एवं शेष दो नमुने रेफरी कार्यालय के पत्रांक 7527 दिनांक 08.10.2024 द्वारा श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (ति.), भरतपुर खण्ड, भरतपुर की अभिरक्षा में भेजे गये। कार्यालय के पत्रांक 7528–29 दिनांक 08.10.2024 द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर जिला अलवर, श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.) कृषि आयुक्तालय, जयपुर, को दुकान सील की सूचना से सूचित किया गया। श्री आसमोहमद द्वारा अवैध उर्वरक डीएपी का बेचान करने, बिना अनुज्ञापत्र के अवैध कारोबार करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन किया गया है। जो दंडनीय अपराध है। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (A) के तहत जब्त उर्वरक को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना विजय मंदिर के कार्मिक व पंकज कुमार वर्मा कृषि पर्यवेक्षक मौके पर आने पर 84 बैग खडी हुई पिकअप नम्बर आरजे 32 जीसी 4379 में डीएपी उर्वरक इफ्फको मार्का व 230 बैग बिना मार्का जिसमें 152 बैग मूल पैकिंग में तथा 78 बैग खुले हुए पाया जाना बताया गया, जो गलत हैं। जो वास्तविकता के विरूद्ध हैं तथा बनावटी हैं। वास्तविकता इस प्रकार हैं कि प्रार्थी मूलतः ग्राम झाडोली पंचायत समति घाटला तहसील व जिला अलवर का रहने वाला हैं। प्रार्थी का मकान खैरथल से अलवर आने वाले मुख्य मार्ग के पास स्थित हैं। प्रार्थी के मकान के पास ही दिनांक 07.10.2024 की मध्यरात्रि को मुख्य मार्ग से गुजरता हुआ एक डम्फर/ट्रक फंस गया। जिस पर हमारे क्षेत्र का दूधिया सतपाल पुत्र रामेश्वर जाति यादव निवासी बल्लभ ग्राम, थाना खैरथल प्रार्थी के पास आया और सतपाल ने फंसे हुए ट्रक में रखे माल को स्वयं का होना बताते हुए उसमें से डीएपी खाद के कुछ कटटो को अनलोड कर प्रार्थी के मकान के गेट के पास चौक में रखे जाने की गुजारिश की गई तथा प्रार्थी को आश्वासन दिया गया कि वह सुबह उक्त कटटों को दूसरे वाहन में लोड कर ले जायेंगे। प्रार्थी ने वाहन ट्रक के सतपाल द्वारा किये गये आग्रह व निवेदन को मानवता की खातिर स्वीकार कर लिया और कुछ कटटों को अपने घर के चौक में रखने की इजाजत दे दी तथा प्रार्थी सो गया। इसके बाद अगले दिन सुबह 3.00–3.00 बजे पुलिसकर्मी द्वारा मिन प्रार्थी को जगाने पर उक्त प्रकरण के बारे में जानकारी हुई। मिन प्रार्थी का उक्त प्रकरण में जब्तशुदा कटटों व पिकअप व अन्य सामान से कोई लेना–देना नहीं हैं। जिससे उक्त जब्तशुदा उर्वरक को राजसात करने में प्रार्थी को कोई उज्ज व आपत्ति नहीं हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रार्थी का जवाब स्वीकार कर उक्त संदर्भित नोटिस के भार से मुक्त फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थी के अनुसार मौके पर 84 बैग खड़ी हुई पिकअप वाहन नंबर त्श्र32ळब्4379 में पाए गए जिन पर क्।च उर्वरक इफ्फको मार्का अंकित था, 230 बैग बिना मार्का के पाए गए (जिसमे 152 बैग मूल पैकिंग में तथा 78 बैग खुले हुए) कुल 314 बैग अवैध उर्वरक मिला। उक्त के संबंध में अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि उक्त जब्तशुदा उर्वरक व अन्य सामान से अप्रार्थी का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जिला अलवर

कोई लेना–देना नहीं है तथा उक्त जब्तशुदा उर्वरक को राजसात करने में अप्रार्थी को कोई उज्र व आपत्ति नहीं है। उक्त कृत्य बीज नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जब्तशुदा उर्वकर डीएपी कुल 314 बैग को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति कृषि अधिकारी (पौ0सं0), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ, जिला अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा जब्तशुदा उर्वकर डीएपी कुल 314 बैग, सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)